न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 253/2020

1. कृष्ण कुमार पुत्र मनसुखसराम जाति जाट निवासी भिरानी त0 भादरा।
2. राजकुमार पुत्र मनसुखराम जाति जाट निवासी भिरानी त0 भादरा।

:— वादीगण

ब ना म

1. मनसुखराम पुत्र छलू राम जाति जाट निवासी भिरानी त0 भादरा।
2. सुमन पुत्री राजबाला पुत्री मनसुखराम जाति जाट निवासी भिरानी त0 भादरा।
3. कांता पुत्री मनसुखराम जाति जाट निवासी भिरानी त0 भादरा।

:— प्रतिवादीगण

दावा बावत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री बलवन्त सिंह : वादी
वकील श्री संजय कुमार : प्रतिवादीगण

दिनांक : 05-7-21

निर्णय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा भिरानी के खाता सं0 121/108 के मु0न0 410 के किला न0 11 ता 14 प्रत्येक किला की 0.253है0 किला न0 15, 16 प्रत्येक की 0.1640है0 किला न0 17 ता 24 प्रत्येक किला की 0.253है0 किला न0 25 की 0.1640है0 मु0 न0 448 के किला न0 5 की 0.253है0 मु0न0 449 के किला न0 1 ता 4 प्रत्येक किला की 0.253है0 किला न0 5, 6 प्रत्येक किला की 0.1640है0 किला न0 7 ता 14 प्रत्येक किला की 0.253है0 किला न0 15, 16 प्रत्येक किला की 0.1640है0 किला न0 17 ता 19, 22 ता 24 प्रत्येक किला की 0.253है किला न0 25 की 0.1640है0 मु0न0 450 के किला न0 20, 21 प्रत्येक किला की 0.1770है0 मु0 न0 453 के किला न0 1/1 की 0.0130है0 मु0न0 454 के किला न0 2 ता 4 प्रत्येक की 0.253है0 किला न0 5/1 की 0.1140है0 किला न0 7/2 की 0.0380है0 किला न0 8/2 की 0. 1770है0 किला न0 9 की 0.253है0 किला न0 12/1 की 0.0380है0 मु0न0 501 के किला न0 21/1 की 0.0250है0 मु0 न0 502 के किला न0 14/1, 16/2 प्रत्येक किला की 0.0630है0 किला न0 17 की 0.2400है0 किला न0 24 की 0.253है0 किला न0 25 की 0.2400है0 मु0 न0 532 के किला न0 4, 5 प्रत्येक की 0.253है0 किला न0 6 की 0.2400है0 किला न0 7 की 0.253है0 किला न0 14 की 0.0510है0 मु0 न0 533 के किला न0 1 की 0.228है0 किला न0 2/1 की 0.640है0 किला न0 9 की 0.0890है0 किला न0 10 की 0.1640है0 कुल 13.1270है0 [illegible] खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 मनसुखराम के नाम 1/3 हिस्सा [illegible] रिकार्ड [illegible] दर्ज [illegible] जो पहले वादी के दादा छलू की खातेदारी हुआ करती थी [illegible] प्रतिवादी सं0 1 मनसुखराम ने कर्ता खानदान होने के [illegible] विरासतन दर्ज करवा[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.08.02 11:20:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक भादरा

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है

Scanned with CamScanner

जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखारमत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादी सं 1 ता 3 ने ई द्वारा आपसी सहमती से दावा की सभी मद संख्या को स्वीकार करते हुए अपने पहचान पत्र व दस्तावेजों के साथ ईकबाल दावा पेश किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा ईकबाल दावा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 कृष्णकुमार पुत्र मनसुखराम के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही भिरानी संवत 2029–38 प्रदर्श 1, जमाबंदी भिरानी सवंत 2074–77 प्रदर्श 2 वारिस प्रमाण पत्र मनसुख प्रदर्श 3 वारिस प्रमाण पत्र राजबाला व मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 4 व 5 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। अतः मुताबिक अनुतोष व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही भिरानी के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही भिरानी संवत 2029–38 प्रदर्श 1, जमाबंदी भिरानी सवंत 2074–77 प्रदर्श 2 वारिस प्रमाण पत्र मनसुख प्रदर्श 3 वारिस प्रमाण पत्र राजबाला व मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 4 व 5 प्रदर्शित करवाये। जिसमें प्रदर्श 1 से कृषि भूमि दादालाई पैतृक भूमि होना साबित है तथा प्रदर्श 3 वारिस प्रमाण के अनुसार मनसुखराम के दो पुत्र कृष्णकुमार व राजकुमार व दो पुत्रीयां राजबाला (फौत – प्रदर्श 5, जिसके जायज वारिसान में सुमन पुत्री राजबाला है प्रदर्श 4 के अनुसार) व कांता है तथा इनके अलावा कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 जन्म से हक हिस्सा निहित है । चूकिं प्रतिवादीया सं0 2 ता 3 ने अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है अतः वाद भूमि में वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

क्रियात्मक आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.08.02 11:20:05 IST
Reason: SelfAttested

अत : वाद वादीगण साबित होने के [illegible] मु[illegible] अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है [illegible] 121 / 108 के मु0न0 410 के किला न0 11 ता [illegible]3है0 किला न0 15, 16 प्रत्येक की 0.1640है0 किला न0 17 ता 24 प्रत्येक किला [illegible] 0.253है0 किला न0 25 की 0.1640है0 मु0 न0 448 के किला न0 5 की 0.253है0 मु0न0 449 के किला न0 1 ता 4 प्रत्येक किला की 0.253है0 किला न0 5, 6 प्रत्येक किला की 0.1640है0 किला न0 7 ता [illegible] प्रत्येक किला की 0.253है0 किला न0 15, 16 प्रत्येक किला की 0.1640है0 किला न0 17 ता 19, 22 ता 24 प्रत्येक किला की 0.253है किला न0 25 की 0.1640है0 मु0न0 450

Scanned with CamScanner

के किला न0 20, 21 प्रत्येक किला की 0.1770है0 मु0 न0 453 के किला न0 1/1 की 0.0130है0 मु0न0 454 के किला न0 2 ता 4 प्रत्येक की 0.253है0 किला न0 5/1 की 0.1140है0 किला न0 7/2 की 0.0380है0 किला न0 8/2 की 0.1770है0 किला न0 9 की 0.253है0 किला न0 12/1 की 0.0380है0 मु0न0 501 के किला न0 21/1 की 0.0250है0 मु0 न0 502 के किला न0 14/1, 16/2 प्रत्येक किला की 0.0630है0 किला न0 17 की 0.2400है0 किला न0 24 की 0.253है0 किला न0 25 की 0.2400है0 मु0 न0 532 के किला न0 4, 5 प्रत्येक की 0.253है0 किला न0 6 की 0.2400है0 किला न0 7 की 0.253है0 किला न0 14 की 0.0510है0 मु0 न0 533 के किला न0 1 की 0.228है0 किला न0 2/1 की 0.640है0 किला न0 9 की 0.0890है0 किला न0 10 की 0.1640है0 कुल 13.1270है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 मनसुखराम के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उसमें तन्हा प्रतिवादी सं 1 मनसुखराम की बजाए वादीगण व प्रतिवादी सं 1 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूकिं प्रतिवादीया सं0 2 व 3 ने अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सं0 1 कृष्णकुमार वादी सं0 2 राजकुमार तथा प्रतिवादी सं0 1 मनसुखराम को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05.7.21......... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हंनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.08.02 11:20:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 253/2021

1. कृष्ण कुमार पुत्र मनसुखसराम जाति जाट निवासी भिरानी त0 भादरा।
2. राजकुमार पुत्र मनसुखराम जाति जाट निवासी भिरानी त0 भादरा।

:– वादीगण

ब ना म

1. मनसुखराम पुत्र छलू राम जाति जाट निवासी भिरानी त0 भादरा।
2. सुमन पुत्री राजबाला पुत्री मनसुखराम जाति जाट निवासी भिरानी त0 भादरा।
3. कांता पुत्री मनसुखराम जाति जाट निवासी भिरानी त0 भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री बलवन्त सिंह एवं वकील प्रतिवादीगण श्री संजय कुमार की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भिरानी के खाता सं0 121/108 के मु0न0 410 के किला न0 11 ता 14 प्रत्येक किला की 0.253है0 किला न0 15, 16 प्रत्येक की 0.1640है0 किला न0 17 ता 24 प्रत्येक किला की 0.253है0 किला न0 25 की 0.1640है0 मु0 न0 448 के किला न0 5 की 0.253है0 मु0न0 449 के किला न0 1 ता 4 प्रत्येक किला की 0.253है0 किला न0 5, 6 प्रत्येक किला की 0.1640है0 किला न0 7 ता 14 प्रत्येक किला की 0.253है0 किला न0 15, 16 प्रत्येक किला की 0.1640है0 किला न0 17 ता 19, 22 ता 24 प्रत्येक किला की 0.253है किला न0 25 की 0.1640है0 मु0न0 450 के किला न0 20, 21 प्रत्येक किला की 0.1770है0 मु0 न0 453 के किला न0 1/1 की 0.0130है0 मु0न0 454 के किला न0 2 ता 4 प्रत्येक की 0.253है0 किला न0 5/1 की 0.1140है0 किला न0 7/2 की 0.0380है0 किला न0 8/2 की 0.1770है0 किला न0 9 की 0.253है0 किला न0 12/1 की 0.0380है0 मु0न0 501 के किला न0 21/1 की 0.0250है0 मु0 न0 502 के किला न0 14/1, 16/2 प्रत्येक किला की 0.0630है0 किला न0 17 की 0.2400है0 किला न0 24 की 0.253है0 किला न0 25 की 0.2400है0 मु0 न0 532 के किला न0 4, 5 प्रत्येक की 0.253है0 किला न0 6 की 0.2400है0 किला न0 7 की 0.253है0 किला न0 14 की 0.0510है0 मु0 न0 533 के किला न0 1 की 0.228है0 किला न0 2/1 की 0.640है0 किला न0 9 की 0.0890है0 किला न0 10 की 0.1640है0 कुल 13.1270है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 मनसुखराम के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उसमें तन्हा प्रतिवादी सं 1 मनसुखराम की बजाए वादीगण व प्रतिवादी सं 1 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूकिं प्रतिवादीया सं0 2 व 3 ने अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सं0 1 कृष्णकुमार वादी सं0 2 राजकुमार तथा प्रतिवादी सं0 1 मनसुखराम को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक [illegible] को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.08.02 11:20:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट-ट्रैक) भादरा

R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner